न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 546/2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

1. लखवीर सिह पुत्र बग्गा सिह जाति तरखान नि.इन्द्रपुरा तह.संगरिया हाल नि.मलके पंजाब
2. गुरबक्श सिह पुत्र बग्गा सिह जाति तरखान नि.इन्द्रपुरा तह.संगरिया हाल नि.मलके पंजाब

— वादी

बनाम्

1. बगासिह पुत्र हरिसिह जाति तरखान निवासी इन्द्रपुरा तह.संगरिया हाल नि.मलके पंजाब
2. गुरदेव कौर पत्नी बग्गा सिह जाति तरखान नि.इन्द्रपुरा तह.संगरिया हाल नि.मलके पंजाब
3. जसवीर कौर पत्नी बलवीर सिह पुत्री बग्गा सिह जाति तरखान नि.इन्द्रपुरा तह.संगरिया हाल नि.मलके पंजाब
4. मनदीप कौर पत्नी अमरजीत सिह पुत्री बग्गा सिह जाति तरखान नि.इन्द्रपुरा तह.संगरिया हाल नि.मलके पंजाब
5. वीरपाल कौर पत्नी राजदीप सिह पुत्री बग्गा सिह जाति तरखान नि.इन्द्रपुरा तह.संगरिया हाल नि.मलके पंजाब
6. चरणजीत कौर पुत्री बग्गा सिह जाति तरखान नि.इन्द्रपुरा तह.संगरिया हाल नि.मलके पंजाब
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री बद्रीनारायण जाखड़ —वकील वादी
2. श्री प्रवीण बेरड़ —वकील प्रति.सं. 1 ता 6

निर्णय दिनांक :— 21.4.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के पिता है व प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 की माता है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 सगे बहिन भाई है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 17 एमजेडी के खाता संख्या 181/78 जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 में 0.8505 है. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो प्रतिवादी संख्या 1 बग्गा सिह को अपने पिता हरि सिह से विरासतन प्राप्त भूमि है। उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का 1/7 हिस्सा बहिब जन्म से बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक व हिस्स की भ्जूमि का परित्याग वादीगण के पक्ष में बहिब कर दिया है। वादीगण व प्रतिवादीगण का घरू बंटवारा अरर्सा करीब 15 वर्ष पूर्व हो चुका है उक्त भूमि मुताबिक घरू बंटवारा वादीगण के पक्ष में बहिब छोड़ी गई थी। इसलिए वादीगण चक नं. 17 एमजेडी के खाता संख्या 181/78 जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 में 0.8505 है. नहरी कृषि भूमि में बगा सिह पुत्र हरि सिह के नाम दर्ज भूमि को बहिब अपना खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एव दावेदार

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि बग्गा सिह पुत्र हरिसिह के नाम दर्ज भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादीगण की बात मानने से कतई इन्कार हो गए। बस यही वाद कारण है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादी निम्नप्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि चक 17 एमजेडी के खाता संख्या 181/78 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में 0.8505 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में बग्गासिह पुत्र हरिसिह का नाम कलमजन कर वादीगण को बहिब खतेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा मय आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश की गई जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 7 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी लखवीर सिह का शपथ–पत्र अर्न्तगत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिंसे शामिल मिसल किया गया, और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा, इस पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। वकील वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी निम्नानुसार प्रदर्श/प्रस्तुत किये गये :–

1. चक 17 एमजेडी खाता संख्या 181/78 ज.स. 2073–76 प्रदर्श–1
2. चक 17 एमजेडी खाता संख्या 5/6 ज.स. 2036–प्रदर्श–2

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 17 एमजेडी खाता संख्या 181/78 ज.स. 2073–76 में वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के पिता है व प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 की माता है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 सगे बहिन भाई है। चक 17 एमजेडी खाता संख्या 181/78 ज.स. 2073–76 की वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है। वादीगण एव प्रतिवादी 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमत है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :– चक 17 एमजेडी खाता संख्या 181/78 ज.स. 2073–76 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाते से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 21.4.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सगरिया